न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या –253/2024
GCMS No. –2024/795

1. लक्ष्मणदान पिता श्री किशना जी जाति चारण उम्र वयस्क निवासी निम्बोदा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तोडगढ़ राज०

वादी

// बनाम //

1. रामलाल पिता श्री किशना जी जाति चारण उम्र वयस्क निवासी निम्बोदा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ राज०
2. अमरदान पिता श्री किशना जी जाति चारण उम्र वयस्क निवासी निम्बोदा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ़ राज०
3. नानी बाई बेवा स्व० श्री किशना जी जाति चारण उम्र वयस्क निवासी निम्बोदा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ़ राज०
4. हरलाल पिता भूरा जी चारण उम्र 50 साल निवासी निम्बोदा, तहसील निम्बाहेडा, राज०

प्रतिवादीगण

वाद तहत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– 1– श्री हस्तीमल सेठिया – अधिवक्ता वादी
2– बाबुलाल प्रजापत –अधिवक्ता प्रतिवादी नं. 1 से 4

:: **निर्णय** :: दिनांक :– 07.02.2025

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा निम्बोदा तहसील निम्बाहेड़ा में आराजी नंबर 128 रकबा 1.0800 हैक्टेयर स्थित है जिसके पुराने आराजी नंबर 73/21 रकबा 5 बीघा है जो किशना जी के जमाने से चली आ रही है। वादी व प्रतिवादी नंबर 1, 2 भाई है व प्रतिवादी नंबर 3 माता होकर और सभी किशना जी के वारिसान है।

2. उपरोक्त आराजीयात किशना जी के देहान्त के बाद प्रतिवादीगण गलत तौर से विरासत का इंतकाल खुलवा लिया तथा वादी के बजाय प्रतिवादी नम्बर 04 का नाम विवादित्त आराजीयात के रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज करा दिया। वादी के कहने के बाद भी प्रतिवादीगण ने वादी का नाम दर्ज नहीं कराया तथा किशना जी के देहान्त के बाद गलती से किशना जी के पुत्र वादी के नाम के बजाय किशना जी के बड़े भाई के पुत्र हरलाल प्रतिवादी नम्बर 04 का नाम दर्ज हो गया। वादी ने प्रतिवादीगण से अपना नाम खाते में दर्ज करवाने बाबत् कहा तो टालमटोल करने लगा इसलिये वादी यह घोषित कराने की अधिकारी है कि विवादित आराजीयात वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 से 03 के कब्जेकाश्त व खातेदारी की है तथा विवादित आराजीयात से प्रतिवादी नम्बर 04 का कोई संबंध सरोकार नहीं है। इस आशय की घोषणा करवाने का वादी अधिकारी है।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

3. वादी का नाम दर्ज होने से रह गया तथा गलती से प्रतिवादी नम्बर 04 का नाम वादी की जगह दर्ज हो गया। इसलिये प्रतिवादी नम्बर 04 को पक्षकार बनाया गया है। वाद का कारण अभी दिनांक 07/11/2024 से पैदा हुआ है जब वादी प्रधानमंत्री किसान समान विधि योजना का फार्म भरने लगा तब से पैदा होकर वाद अंदर मियाद पेश है।

4. विवादित आराजीयात निम्बोदा तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित है इसलिये यह वाद श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता बाबूलाल प्रजापत ने वकालतनामा मय इकबाली जवाबदावा पेश किया।

6. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवादी नं. 4 हरलाल पिता भूरा जी चारण का नाम विलोपित कर वादी लक्ष्मणदान पिता किशना जी चारण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

घोषणा है कि

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद कतई डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेश दिया जाता है की मौजा निम्बोदा पटवार हल्का निम्बोदा तहसील निम्बाहेड़ा के आराजी नंबर 128 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवादी नंबर 4 हरलाल पिता भूरा जी चारण का नाम विलोपित कर वादी लक्ष्मणदान पिता किशना जी चारण का नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किए जाने एवं अमल दरामद किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर

निर्णय आज दिनांक 07.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या –253/2024
GCMS No. –2024/795

1. लक्ष्मणदान पिता श्री किशना जी जाति चारण उम्र वयस्क निवासी निम्बोदा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तोडगढ़ राज०

वादी

// बनाम //

1. रामलाल पिता श्री किशना जी जाति चारण उम्र वयस्क निवासी निम्बोदा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ राज०
2. अमरदान पिता श्री किशना जी जाति चारण उम्र वयस्क निवासी निम्बोदा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ़ राज०
3. नानी बाई बेवा स्व० श्री किशना जी जाति चारण उम्र वयस्क निवासी निम्बोदा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ़ राज०
4. हरलाल पिता भूरा जी चारण उम्र 50 साल निवासी निम्बोदा, तहसील निम्बाहेडा, राज०

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद कतई डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेश दिया जाता है की मौजा निम्बोदा पटवार हल्का निम्बोदा तहसील निम्बाहेड़ा के आराजी नंबर 128 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवादी नंबर 4 हरलाल पिता भूरा जी चारण का नाम विलोपित कर वादी लक्ष्मणदान पिता किशना जी चारण का नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किए जाने एवं अमल दरामद किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा